रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2228] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 9, 2017/श्रावण 18, 1939
No. 2228] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 9, 2017/SRAVANA 18, 1939

गृह मंत्रालय

(आन्तरिक सुरक्षा-I प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2017

का.आ. 2534(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 01 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2215(अ) के तहत आतंकवादी और विध्वंसात्मक गतिविधि (निवारण) अधिनियम/आतंकवाद रोकथाम अधिनियम के तहत, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के प्रयोजन हेतु अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था, जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण जम्मू एवं कश्मीर राज्य था;

और जबकि, श्री किशोर कुमार (जिला न्यायधीश), पीठासीन अधिकारी, आतंकवादी और विध्वंसात्मक गतिविधि (निवारण) अधिनियम/आतंकवाद निवारण अधिनियम (टाडा/पोटा) के तहत अभिहित न्यायालय (तीसरे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश), जम्मू जिन्हें भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 8 फरवरी, 2016 की अधिसूचना सं. का.आ. 399(अ) के तहत उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, का स्थानातंरण हो गया है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 8 फरवरी, 2016 की अधिसूचना संख्या का. आ. 399(अ) का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन कार्यों के जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार श्री हक नवाज जरगार (जिला एवं सत्र न्यायधीश), पीठासीन अधिकारी, आतंकवादी और विध्वंसात्मक गतिविधि (निवारण) अधिनियम/आतंकवाद निवारण अधिनियम (टाडा/पोटा) के

तहत अभिहित न्यायालय (तीसरे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश), जम्मू को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009-आईएस-IV]

सुधीर कुमार सक्सेना, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(INTERNAL SECURITY-I DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9 th August, 2017

S.O. 2534(E).—Whereas in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government had, vide notification number S.O. 2215(E), dated the 1st September, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), notified the Designated Courts under Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act/Prevention of Terrorism Acts (TADA/POTA) at Jammu and Srinagar as the Special Court for the purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act, having jurisdiction throughout the State of Jammu and Kashmir, for the trial of Scheduled Offences;

And whereas, Shri Kishore Kumar, (District Judge), Presiding Officer, Designated Courts under Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act/Prevention of Terrorism Acts (TADA/POTA) (3rd Additional District and Sessions Judge), Jammu, who was appointed as the Judge to preside over the said Special Court vide notification number S.O. 399(E), dated the 8th February, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), has been transferred;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 11 of the said Act and in supersession of the notification number S.O. 399(E), dated the 8th February, 2016, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Jammu and Kashmir, hereby appoints Shri Haq Nawaz Zargar, (District & Sessions Judge), Presiding Officer, Designated Courts under Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act/Prevention of Terrorism Acts (TADA/POTA) (3rd Additional District and Sessions Judge), Jammu, as the Judge to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS-IV]

SUDHIR KUMAR SAXENA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2017

का.आ. 2535(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 01 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2163(अ) के तहत बम विस्फोट मामलों के विशेष विचारण संबंधी सत्र न्यायालय, चेन्नई को उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के प्रयोजन हेतु अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था, जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण तमिलनाडु राज्य था;

और जबकि, डॉ. के. रामानाथन, जिला न्यायधीश, जिन्हें भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 11 नवम्बर, 2016 की अधिसूचना सं. का.आ. 3442(अ) के तहत उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, का स्थानातंरण हो गया है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 11 नवम्बर, 2016 की अधिसूचना संख्या का. आ. 3442(अ) का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन कार्यों के जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, मद्रास न्यायक्षेत्र के उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर श्री थिरू. पी. चेन्थूरपांडी, जिला न्यायाधीश को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009-आईएस-IV]

सुधीर कुमार सक्सेना, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th August, 2017

S.O. 2535(E).—Whereas in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government had, vide notification number S.O. 2163(E), dated the 1st September, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), notified the Sessions Court for exclusive trial of Bomb Blast Cases, Chennai as the Special Court for the purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences having jurisdiction throughout the State of Tamil Nadu for the trial of Scheduled Offences;

And whereas, Dr. K. Ramanathan, District Judge, who was appointed as the Judge to preside over the said Special Court vide notification number S.O. 3442(E), dated the 11th November, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), has been transferred;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 11 of the said Act and in supersession of the notification number S.O. 3442(E), dated the 11th November, 2016, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Judicature at Madras, hereby appoints Thiru P. Chenthoorpandi, District Judge as the Judge to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS-IV]

SUDHIR KUMAR SAXENA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2017

का.आ. 2536(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 26 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का. आ. 788(अ) के तहत अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखनऊ के तीसरे वरिष्ठतम न्यायालय को उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के प्रयोजन हेतु अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था, जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य है;

और जबकि, श्री नील कुंठा सहाय, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखनऊ, जिन्हें भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 7 जुलाई, 2015 की अधिसूचना सं. का.आ. 1833(अ) के तहत उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, का स्थानातंरण हो गया है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 07 जुलाई, 2015 की अधिसूचना संख्या का. आ. 1833(अ) का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन कार्यों के जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, इलाहाबाद न्यायक्षेत्र के उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर श्री पदमाकर मणि त्रिपाठी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखनऊ को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009-आईएस-IV]

सुधीर कुमार सक्सेना, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th August, 2017

S.O. 2536(E).—Whereas in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government had, vide notification number S.O. 788(E), dated the 26th April, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), notified the 3rd Seniormost Court of Additional District and Sessions Judge, Lucknow, as the Special Court for the purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act, having jurisdiction throughout the State of Uttar Pradesh, for the trial of Scheduled Offences;

And whereas, Sri Neel Kuntha Sahay, Additional District and Sessions Judge, Lucknow, who was appointed as the Judge to preside over the said Special Court vide notification number S.O. 1833(E), dated the 7th July, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), has been transferred;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 11 of the said Act and in supersession of the notification number S.O. 1833(E), dated the 7th July, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Judicature at Allahabad, hereby appoints Sri Padmakar Mani Tripathi, Additional District and Sessions Judge, Lucknow, as the Judge to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS-IV]

SUDHIR KUMAR SAXENA, Jt. Secy.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.08.09 19:24:05 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.